पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

दरा हथाई

ग्राम पंचायत - हथाई,

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - दरा हथाई गाँव के लोगों द्वारा ऐसा माना जाता है कि दरा हथाई गाँव 600 ईसवी में बसा था। गाँव के बीच एक नहर(नाला-दरा) बहती थी जिसकी वजह से गाँव का नाम दरा हथाई पड़ा। आदिवासी प्रकृति प्रेमी थे। उनको नहर के किनारे प्रकृति के बीच जंगल में रहना पसंद था। धीरे-धीरे जंगल खत्म हो गया है और भूजल स्तर भी नीचे चला गया है।

गाँव का एक परिचय - डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर उत्तर में दरा हथाई गाँव बसा हुआ है जिसकी ग्राम पंचायत हथाई और ब्लॉक/पंचायत समिति दोवड़ा तथा तहसील एवं जिला डूंगरपुर है। गाँव में 125 परिवार रहते हैं। दरा हथाई के पड़ोसी गाँव - उत्तर में भोजातों का ओड़ा, दक्षिण में वाड़ा, पूर्व में पातली और पश्चिम में सत्तू गाँव है। कुल जनसंख्या 1165 हैं जिनमें कुल महिलाएं 685 और पुरुष 480 हैं। गाँव का कुल रकबा 871 हेक्टेयर हैं। कुल कृषि भूमि 306 हेक्टेयर है। विला नाम भूमि 403 हेक्टेयर है। चरनोट 162 हेक्टेयर है। गाँव में तीन मुख्य फले है - गमेती फला, चौकी फला और पउवा फला तथा। छोटे फले जैसे खन्ना फला और अहारी फला भी हैं। गाँव में अनुसूचित जनजाति के आलावा अन्य किसी समाज के लोग नहीं रहते है। आदिवासियों में ननोमा, खराड़ी, बरंडा, अहारी आदि उपजातियाँ रहती हैं। गाँव के लोग गेहूं, मक्का, उड़द आदि फसल पैदा करते हैं। पशुपालन भी करते हैं। उनकी खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो से चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गाँव में शिक्षा का अभाव है क्योंकि वह गरीबी के कारण बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे परिवार की परवरिश के लिए कमाने के लिए बाहर शहरों में चले जाते हैं। गाँव में राशन की दुकान नहीं है वह है तीन किलोमीटर हथाई है। गाँव में गाँव सभा का गठन और शिलालेख 10 अक्टूबर 2017 को हुआ। पेसा कानून की समझ अभी कुछ गाँव वासियों को है। गाँव में एक मंदिर है।

ग्राम गणराज्य शिलालेख की स्थापना

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

हथाई. ग्राम पंचायत हथाई के राजस्व गाव दरा हथाई गाव में आज ग्राम गणराज्य शिला लेख की स्थापना विधायक गोपीचन्द मीणा के मुख्य आतिथ्य में हुई। इसकी अध्यक्षता सरपंच ममता देवी थी। विशिष्ट अतिथि सुरेश फलोजिया, वागड़ मजदूर संगठन के संयोजक मानसिंह, ब्लॉक कोर्डिनेटर अनुराग कटारा, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मनसुखजी पाटीदार, देवसोम नाथ मण्डल अध्यक्ष नाथुभाई पाटीदार, प्रेमनाथ पाटीदार, बहादुर पाटीदार, उप सरपंच कचरू लाल पाटीदार, महिपाल जैन, नारायण जी रोत, पूर्व सरपंच पूंजीलाल ननोमा थे। विधायक ने गाव में पंडित दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ भी किया। इसके उपरांत अतिथियों ने ग्राम गणराज्य शिलालेख की स्थापना की। इस अवसर पर मांगीलाल, अध्यक्ष धनजी ननोमा, दौलतराम मीणा हकसी आदि उपस्थित थे। संचालन हेमेन्द्र जोशी व आभार धनजी मीना ने व्यक्त किया।

हथाई. शिलालेख का अनावरण करते अतिथि।

दरा हथाई गाँव में हुए पेसा शिलालेख का प्रकाशित समाचार

आवागमन की स्थिति - गाँव दरा हथाई डूंगरपुर से दोवड़ा मार्ग पर 23 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में बसा हुआ है। कहीं आने-जाने के लिए उन्हें 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर हथाई जाना पड़ता है। जहां से उनको बस, जीप और टेंपो मिलते हैं। सभी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। मुख्य सड़क से गाँव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। पैदल या अपने साधन से मुख्य सड़क तक आना पड़ता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र हथाई में है, जो गाँव से 3 किलोमीटर दूर है। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको 23 किलोमीटर डूंगरपुर ले जाना पड़ता है। जिसके लिए मरीज को तीन से पांच किलोमीटर चारपाई या झोली में डालकर गाँव की सड़क तक ले जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की दूकान भी नहीं है। दवा खरीदने के लिए हथाई जाना पड़ता हैं। पशु अस्पताल भी गाँव में नहीं है। वह भी सात किलोमीटर दूर फलोज में ही है। गाँव में एक प्रायमरी विद्यालय हैं। उसमें लगभग पचास बच्चे पढ़ते हैं। विद्यालय में दो अध्यापक हैं। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ज्यादातर बच्चों को अक्षर ज्ञान तक नहीं है। छठी से बारहवीं तक पढ़ने के लिए तीन किलोमीटर दूर हथाई जाना पड़ता है और डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 23 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्नप्रकार है-

आवागमन की कमी - डूंगरपुर दोवड़ा मुख्य सड़क से मात्र एक पक्की सड़क गाँव में आती है और गाँव फलों के लिए कच्चे रास्ते या पगडंडी है। मुख्य सड़क तक कोई साधन नहीं है। लोग 2 से 5 किलोमीटर पैदल आते-जाते हैं। बरसात में आदिवासी फलों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। नीचे के रास्तों में कीचड़ भर जाता है। पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी. सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है। अभी वहां केवल पैदल ही आना जाना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव की कुल कृषि भूमि 306 हे. है। जबकि गाँव की समतल जमीन लगभग 30 बीघा ही है। गाँव का चरागाह(162 हेक्टेयर) जो पहाड़ियों पर है, उस पर भी कुछ लोगों का कब्जा है। आदिवासियों के पास जो जमीन है वह पहाड़ों की ढलान पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गाँव के समतल जमीन और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों के उपयोग की गाँव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीन और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है।

ज्यादातर पहाड़ियां ना तो उनके नाम है न ही उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। गाँव में एक नागानी तालाब है। गाँव में दो नाले(नाका तलावडी और उबापाणा नाला) है जिस पर तीन एनीकट बने हुए हैं। तीनों एनीकट अच्छे हैं और बरसात के बाद भी पानी रुकता है। जबकि गाँव में कुल 27 कुओं में पानी पूरे साल नहीं रहता है। सिंचाई के लिए कुछ लोगों ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं जिनमें बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है कुछ कुएं गर्मियों में सूख जाते हैं। अभी तक जल स्तर को ऊंचा करने की योजना गाँव के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। गाँव के पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग ट्यूबवेल का पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है। इसके बारे में लोगों की कोई योजना नहीं है। गाँव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर.ओ.प्लांट नहीं है। 9 हैंडपंप है जिसमें से सात चालू हैं जिससे उनको गर्मियों में पीने के पानी के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर पानी के प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है। वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति - गाँव की उपजाऊ समतल जमीन पर वह गेहूं, मक्का, उड़द, और सब्जियों आदि की खेती करते हैं। शेष जमीन उबड़-खाबड़ है। जिस पर सिर्फ घास होती है। गाँववासी पशुपालन में भैंस, गाय और बैल भी रखते हैं जिनसे कंपोस्ट खाद तैयार करके खेतों में भी डालते हैं जिनसे उनकी उपज बढ़ती है। कुछ लोगों पास पथरीली, ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली ही जमीन है जिन पर वह खेती करते हैं। वह भी मात्र एक फसल की खेती कर पाते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। कुछ के पास कृषि भूमि कम होने के कारण वह मनरेगा में मजदूरी करते हैं या गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। मनरेगा में मजदूरी अधितर 100 रु. से कम मिलती है और काम भी पूरे 100 दिन नहीं मिलता है। इसलिए मनरेगा में अधिकांश महिलाएं ही जाती है। पुरुष गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी करते है जहाँ वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। गाँव में सरकारी नौकरी करने वाला कोई नहीं है ।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल तालाब नाला कुआं	गाँव में एक नागानी तालाब है जिस में बरसात में पानी भरा रहता है। बरसात के बाद अक्टूबर-नवम्बर तक पानी रूकता	नाले पर और एनीकट बनाया जाए और गाँव के पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाए तो गाँव के लोगों की सिंचाई का

हैंडपंप ट्यूबवेल	है। नाले पर तीन एनीकट बने हैं। तीनों एनीकट ठीक हैं। कुछ कुँए हैं जिनमें पानी पूरे वर्ष रहता है। कुछ कुँए गर्मियों में सूख जाते हैं। हैंडपंप 9 हैं। जिसमें से सात हैंडपंप खराब पड़े हैं और सातों हैण्डपम्प की मरम्मत की आवश्यकता है। गाँव में 27 कुए हैं। गर्मियों में भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण उनका पानी भी सूख जाता है।	संकट दूर हो सकता है और जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव में समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ है। समतल जमीन उपजाऊ है। गाँव में बिला नाम जमीनें भी है जिस पर लोगों का कब्जा है। गाँव में चारागाह (40 बीघा)भी है लेकिन वह पहाड़ियों पर है। जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। गाँव की संपूर्ण चरागाह भूमि पर पाटीदार परिवारों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीनें असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	गाँव की कुछ जमीनों का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह भूमि, जो पहाड़ियां बिला नाम की हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीनों को गाँव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती भी करके आय बढ़ाई जा सकती है।
जंगल	गाँव में जंगल की जमीन है जो लगभग 150-200 बीघा है। जिसमें कुछ कटीली झाड़ियाँ और बबूल के आलावा कोई फलदार और लघु वन उपज से आय देने वाले पेड़ नहीं है।	फलदार वृक्ष लगाकर जंगलों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। जिससे गाँव के लोगों को लघुवन उपज मिल सकता है।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव के कुछ लोग बकरी, गाय और भैंस पालते हैं। गाँव के चरागाह और पहाड़ियों पर कुछ लोगों का कब्जा होने से जो घास मिलती है वह उनके चारे की कमी को

पूरा कर देती है। बाकी कुछ आदिवासी परिवारों में चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। गाय एक से डेढ़ लीटर दूध देती है जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है। उनके लिये बकरी पालन भी कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिती में नहीं हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - खेती, पशुपालन और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गाँव में नहीं है। जिन लोगों के पास खेती ज्यादा है वह लोग कृषि और पशुपालन में लगे हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी 60-70 दिन ही मिलता है और मजदूरी भी 80-90 रु. प्रतिदिन ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - ज्यादातर गाँव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। गेहूं के अलावा ना तो उनको चावल और चीनी मिलती है और न ही मिट्टी का तेल मिलता है जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। गाँव में कुल जॉब कार्ड, कुल राशन कार्ड 215 है। नये ए.पी.एल. राशन कार्ड 96 बी.पी.एल.4, स्टेट बी.पी.एल. 10, अंत्योदय अन्नपूर्णा योजनावाले 15 है। गाँव में कुल लाइट कनेक्शन वाले परिवार 21 तथा बिना लाइट कनेक्शन वाले परिवार 104 हैं। मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री / इंदिरा आवास लाभार्थी परिवार 10 हैं। जिनके यहाँ शौचालय बने हुए हैं ऐसे परिवार 115 हैं। शौचालय नहीं बने हुए परिवार 10 हैं। उज्जवला गैस कनेक्शन वाले परिवार 15 हैं। ऐसे परिवार जिनकी जॉब कार्ड नहीं बने हैं 15 है। कुल हैंडपंप 9 है जिसमें से सात मरम्मत योग्य है। गाँव में कुल सात सडकें हैं जिसमें से छ: कच्ची सड़क है। एक पक्की सड़क है। इंदिरा आवास/प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास से 80 परिवार वंचित है। बी.पी.एल. सूचि से सात वंचित परिवार है। स्टेट बी.पी.एल. से तीन वंचित परिवार है। अंत्योदय योजना से चार वंचित परिवार है। एकल नारी पेंशन से एक, बाल पालनहार योजना एक और उज्जवला गैस कनेक्शन से वंचितों की संख्या 30 है। शासकीय योजनाओं से वंचितों में पेंशन से 54 लोग वंचित है, जिसमें वृद्धा पेंशन से महिला 15, पुरुष 25, विधवा पेंशन से 12 तथा एकल नारी पेंशन से 2

वंचित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचितों की संख्या 13 है। मुख्यमंत्री योजना के वंचितों की संख्या 7 है ।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक	वरीयता
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव के रास्तों के निर्माण में पी.डब्लू.डी. द्वारा पक्की सड़क तथा पंचायत द्वारा आर.सी.सी. और कच्चे रास्ते का निर्माण किया जाता है। सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण सड़क और रास्ते का निर्माण मानकों के अनुसार नहीं होने से रास्ते 2 से तीन साल में ही खराब हो जाते है । रास्ते के निर्माण में कुछ संकट गाँव के लोगों का अपनी जमीन नहीं देने से भी रहता है । गाँव के लोगों को रास्ते के लिए सहमत करने में पंचायत की कोई रूचि नहीं होती जिससे रास्ते की समस्या और बढ़ जाती है ।	गाँव में रास्ते की समस्या के समाधान हेतु गाँवसभा की बैठक में प्रस्ताव लिया गया है और उसे पंचायत के एक्शन प्लान में शामिल करवाने का प्रयास किया जा रहा है । एक्शन प्लान में अगर रास्ता निर्माण के प्रस्ताव को शामिल कर लिया गया तो रास्ते का संकट समाप्त हो जाएगा।	**तात्कालिक**	
2	**शिक्षा व्यवस्था**	**सार्वजनिक**	गाँव में प्राथमिक	इस समस्या के	**तात्कालिक**	

	ठीक नहीं होना		स्तर की शिक्षा बरबाद हो चुकी है । बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो पर्याप्त अध्यापक हैं न ही बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त कर्मे । जो विद्यालय है भी उसके कमरों की मरम्मत करनी जरुरी है । बच्चों को शुद्ध पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है । विद्यालय की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा भी कर रखा है । बच्चों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो इसकी गाँव के लोगों को कोई समझ नही है । जिन लोगों की आर्थिक स्तिथि कुछ ठीक है वे अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ने भेज देते हैं । बाकी सभी बच्चे अध्यापक और कमरे विहीन सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं ।	समाधान के लिए गाँव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए पंचायत के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी। गाँव के लोगों का शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सम्पर्क करने का निर्णय लिया गया है।		
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़	**तात्कालिक**	

			भी नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नत शील बीज और खाद का अभाव है।	बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना ।		
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गाँव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेत्क आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।	**तात्कालिक**	
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गाँव में बसे हैं । सरकार द्वारा किसानों को जो भूमि अधिकार देना वह बंद कर रखा है। जितनी भूमि पर वह काबीज है उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी	**दीर्घकालिक**	

			विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।		
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव के पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से भूजल स्तर लगातार नीचे जाने से दो समस्याएँ खड़ी हो गयी है - 1. फ्लोराइड की मात्रा पीने के पानी में ज्यादा बढ़ रही है। 2. गर्मियों में पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।	**तात्कालिक**	

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	गाँव में पक्की सड़क मात्र एक है जो जर्जर हालत में है । कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने जाने	गाँवकमेटियों का मजबूत ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की

	चौड़ा नहीं करना। गाँव के लोगों का रास्ते निर्माण में अपनी जमीन न देना।	में समय की बचत होगी।	कमी।
जल नाला कुआं बोरवेल हैंडपंप	भू-जलस्तर का नीचे जाना। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं को रिचार्ज नहीं करना। बोरवेल लगाकर भूजल का दोहन करना । गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी और सरकारी विभागों की लापरवाही और उदासीनता।	बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता। गाँव में पानी की व्यवस्था करने वाले सभी विभागों की लापरवाही।
आजीविका के साधन	गाँव की सभी पहाडियाँ और बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हैं, गाँव में रोजगार के साधन का अभाव। कृषि उत्पादन की कमी। अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन, सब्जी के खेती से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती कीजमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

	होना।	करवाना।	

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा -

नजरिया नक्शा दरा हथाई

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या	लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	पेंशन के सम्बन्ध में -		
	वृद्धा पेंशन	23	23
	विधवा पेंशन	2	2
	पालनहार योजना	7	3
	एकल नारी योजना	3	3
	विकलांग पेंशन	4	4
2	आवास योजना के संबंध में	57	57
3	राजकीय प्राथमिक विद्यालय दरा हथाई के संबंध में मरम्मत दो कमरे निर्माण तीन विषय अध्यापकों की नियुक्ति पीने के पानी की व्यवस्था विद्यालय भूमि पर अवैध पट्टा निरस्त करने के संबंध में	1	--
4	आंगनवाड़ी भवन निर्माण के संबंध में (गमेती फला में, चौकी फला में)	2	--
5	स्वास्थ्य केंद्र खोलने के संबंध में	1	गाँव के समस्त परिवार
6	राशन की दुकान खोलने के संबंध में	1	गाँव के समस्त परिवार
7	शौचालय निर्माण के संबंध में		
	नए निर्माण	8	8
	शौचालय निर्माण के बकाया भुगतान	1	1
8	सामुदायिक भवन निर्माण के संबंध में - एक शिलालेख के पास	1	गाँव के समस्त परिवार
9	हैंडपंप की मरम्मत के संबंध		
	पुराने हैंडपंप की मरम्मत के संबंध में	7	--
	नए हैंडपंप लगाने के संबंध में	11	--
10	रास्ता निर्माण के संबंध में		
	सी.सी.सड़क(5600 मीटर)	1	--
	कच्ची सड़क (2600 मीटर)	1	--

	डामरीकरण (9 किलोमीटर)	1	--
11	नया तालाब निर्माण और पुराने तालाब की मरम्मत के संबंध में	1	--
12	आर.ओ.प्लांट निर्माण के संबंध में	12	--
13	खेत समतलीकरण कुंआ निर्माण/गहरीकरण/मरम्मत और पशु बाड़ा निर्माण के संबंध में	91	91
14	श्मशान घाट मरम्मत के संबंध में	1	--
15	वन पर सामुदायिक दावा प्रस्तुत करने के संबंध में	1	गाँव के समस्त परिवार
16	काबीज भूमि पर व्यक्तिगत दावा के संबंध में	10	10

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

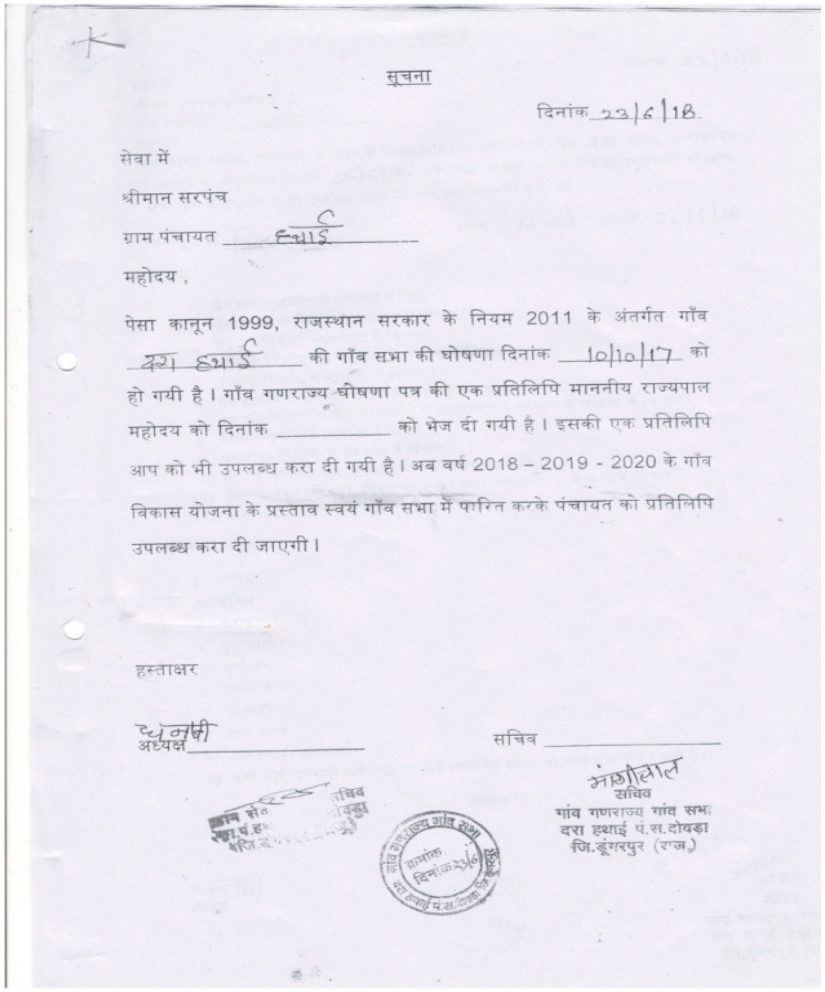

सूचना

दिनांक 23/6/18

सेवा में

श्रीमान सरपंच

ग्राम पंचायत दरा हथाई

महोदय ,

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गाँव दरा हथाई की गाँव सभा की घोषणा दिनांक 10/10/17 को हो गयी है। गाँव गणराज्य घोषणा पत्र की एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक _____ को भेज दी गयी है। इसकी एक प्रतिलिपि आप को भी उपलब्ध करा दी गयी है। अब वर्ष 2018 – 2019 - 2020 के गाँव विकास योजना के प्रस्ताव स्वयं गाँव सभा में पारित करके पंचायत को प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष _____ सचिव _____

भंवरीलाल
सचिव
गांव गणराज्य गांव सभा
दरा हथाई पं.स.दोयड़ा
जि.डूंगरपुर (राज.)

गाँव सभा घोषणा की सूचना

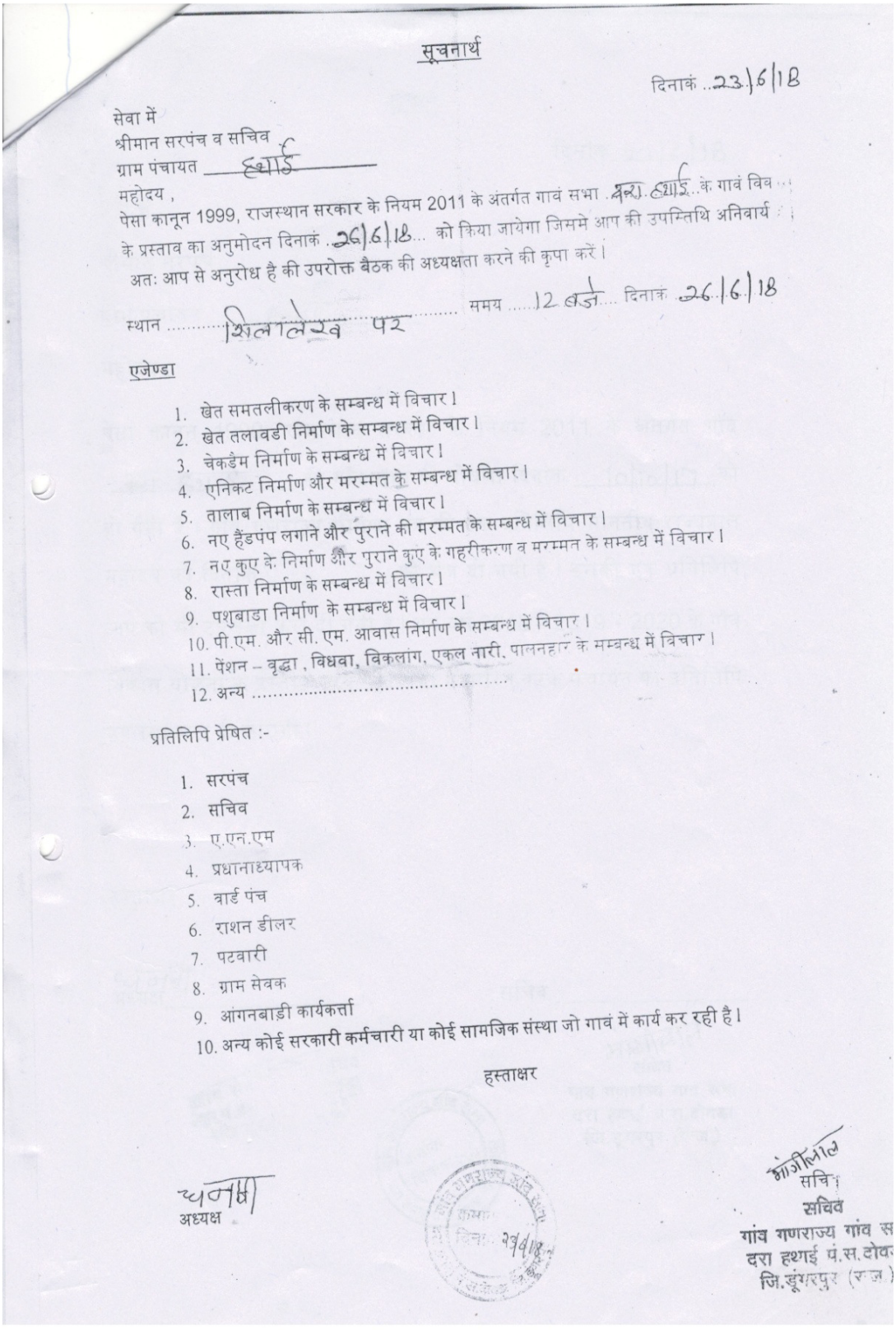

सूचनार्थ

दिनांक ..23/6/18

सेवा में
श्रीमान सरपंच व सचिव
ग्राम पंचायत हथाई

महोदय ,

पेसा कानून 1999, राजस्थान सरकार के नियम 2011 के अंतर्गत गावं सभा ..दरा हथाई.. के गावं विव... के प्रस्ताव का अनुमोदन दिनाकं ..26/6/18... को किया जायेगा जिसमे आप की उपस्तिथि अनिवार्य ...

अतः आप से अनुरोध है की उपरोक्त बैठक की अध्यक्षता करने की कृपा करें।

स्थान ...शिलालेख पर... समय ....12 बजे.... दिनाकं ..26/6/18

एजेण्डा

1. खेत समतलीकरण के सम्बन्ध में विचार।
2. खेत तलावडी निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
3. चेकडैम निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
4. एनिकट निर्माण और मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
5. तालाब निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
6. नए हैंडपंप लगाने और पुराने की मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
7. नए कुए के निर्माण और पुराने कुएं के गहरीकरण व मरम्मत के सम्बन्ध में विचार।
8. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
9. पशुबाडा निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
10. पी.एम. और सी. एम. आवास निर्माण के सम्बन्ध में विचार।
11. पेंशन – वृद्धा , विधवा, विकलांग, एकल नारी, पालनहार के सम्बन्ध में विचार।
12. अन्य ....

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सरपंच
2. सचिव
3. ए.एन.एम
4. प्रधानाध्यापक
5. वार्ड पंच
6. राशन डीलर
7. पटवारी
8. ग्राम सेवक
9. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता
10. अन्य कोई सरकारी कर्मचारी या कोई सामजिक संस्था जो गावं में कार्य कर रही है।

हस्ताक्षर

चमना
अध्यक्ष

मांगीलाल
सचिव
सचिव
गांव गणराज्य गांव स
दरा हथाई पं.स.टोक
जि.डूंगरपुर (राज.)

सरपंच / सचिव को गाँव सभा में प्रस्ताव अनुमोदन हेतु एजेंडा और सूचना

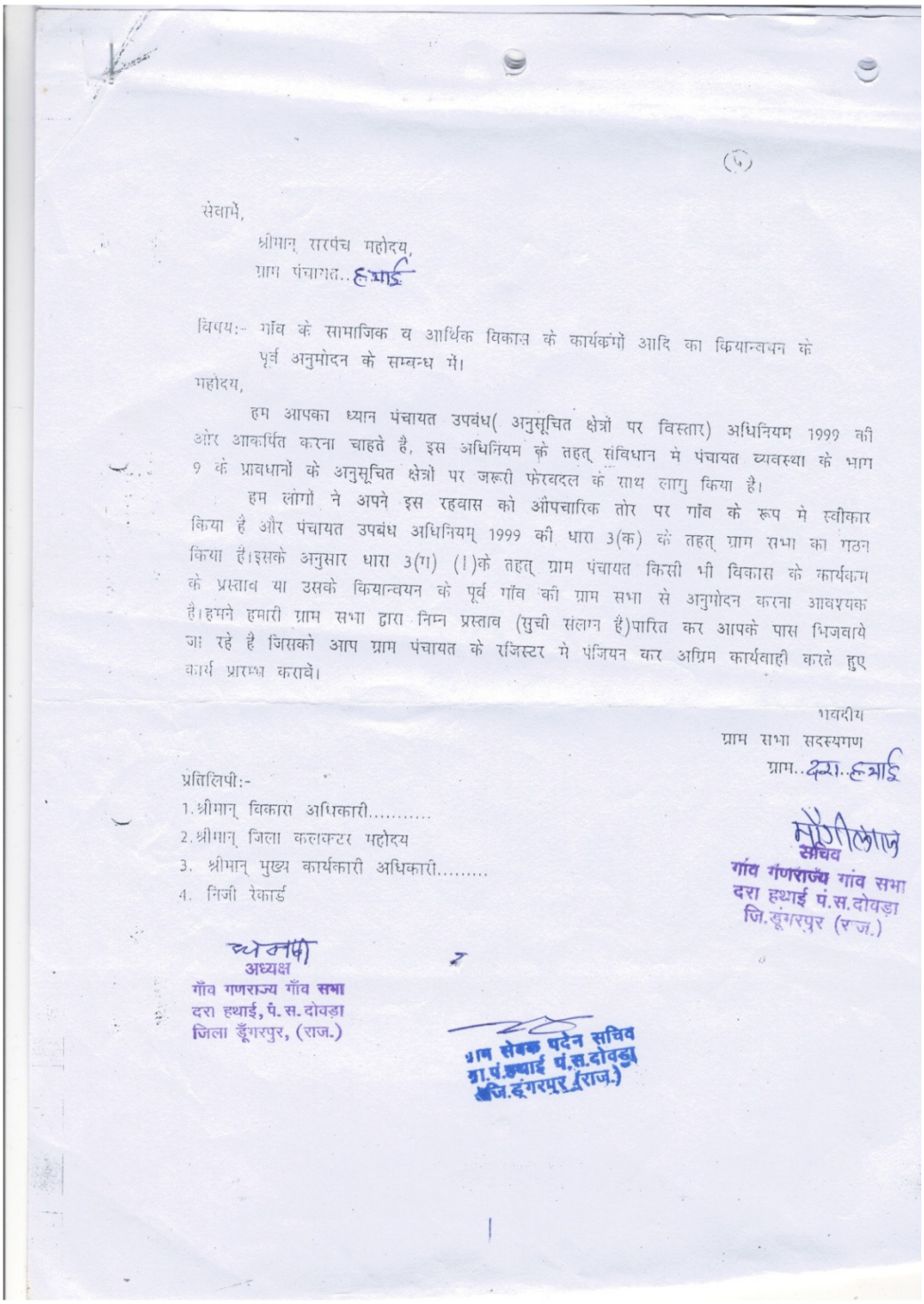

सेवामें,

श्रीमान् सरपंच महोदय,
ग्राम पंचायत..दरा हथाई

विषय:- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का कियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते है, इस अधिनियम के तहत् संविधान मे पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तोर पर गाँव के रूप मे स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम् 1999 की धारा 3(क) के तहत् ग्राम सभा का गठन किया है।इसके अनुसार धारा 3(ग) (1)के तहत् ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके कियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है।हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है)पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर मे पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम..दरा..हथाई

प्रतिलिपी:-
1.श्रीमान् विकास अधिकारी.....
2.श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय
3. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी.....
4. निजी रेकार्ड

सचिव
गांव गणराज्य गांव सभा
दरा हथाई पं.स.दोवड़ा
जि.डूंगरपुर (राज.)

अध्यक्ष
गाँव गणराज्य गाँव सभा
दरा हथाई, पं. स. दोवड़ा
जिला डूँगरपुर, (राज.)

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्रा.पं.हथाई पं.स.दोवड़ा
जि.डूंगरपुर (राज.)

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

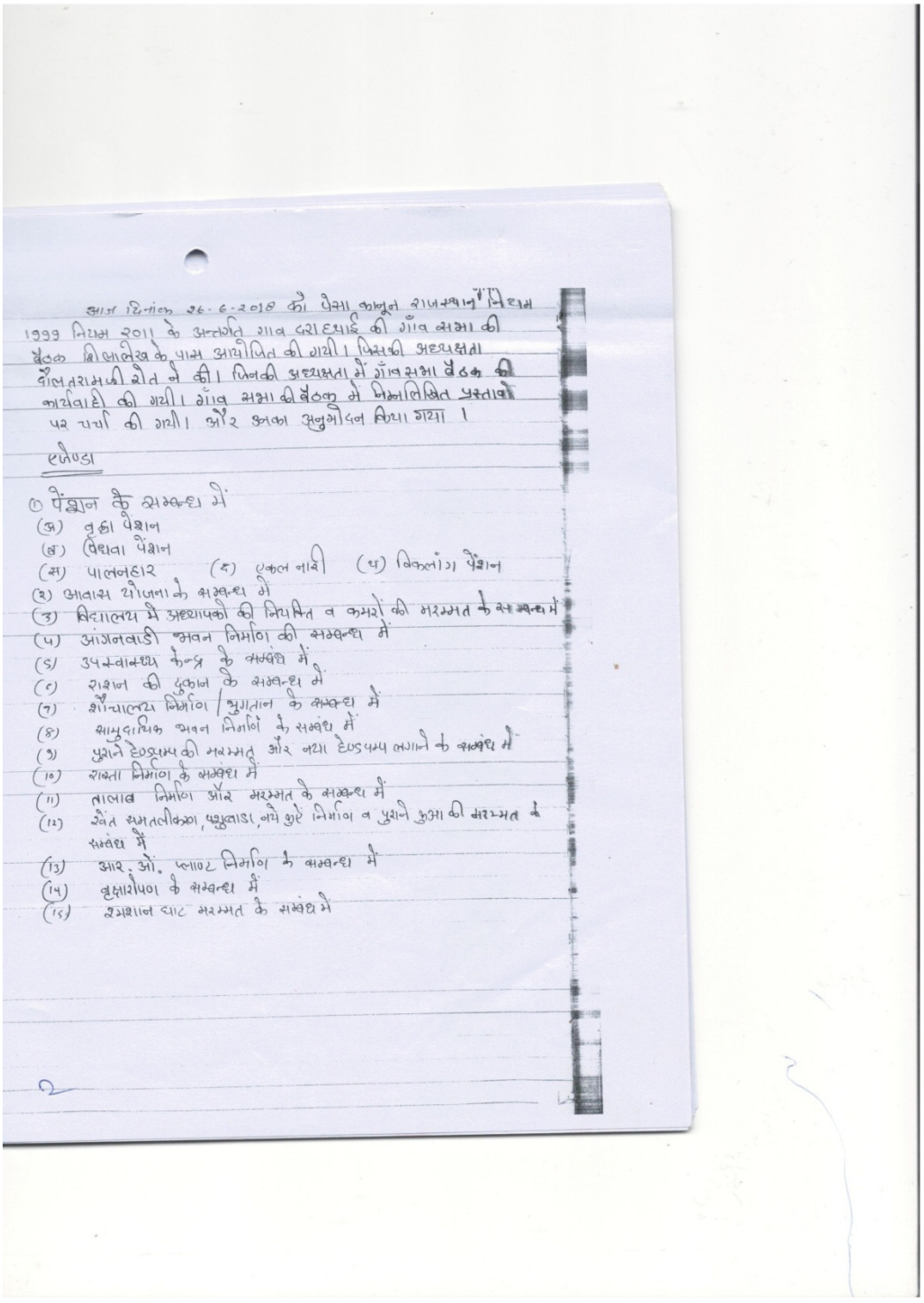

आज दिनांक 26-6-2018 को पेसा कानून राजस्थान नियम 1999 नियम 2011 के अन्तर्गत गाव दरादधाई की गाँव सभा की बैठक शिलालेख के पास आयोजित की गयी। जिसकी अध्यक्षता दौलतरामजी रोत ने की। जिनकी अध्यक्षता में गाँवसभा बैठक की कार्यवाही की गयी। गाँव सभा की बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गयी। और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा

(1) पेंशन के सम्बन्ध में
(अ) वृद्धा पेंशन
(ब) विधवा पेंशन
(स) पालनहार (द) एकल नारी (य) विकलांग पेंशन
(2) आवास योजना के सम्बन्ध मे
(3) विद्यालय मे अध्यापको की नियुक्ति व कमरों की मरम्मत के सम्बन्ध में
(4) आंगनवाडी भवन निर्माण की सम्बन्ध में
(5) उपस्वास्थ्य केन्द्र के सम्बंध में
(6) राशन की दुकान के सम्बन्ध मे
(7) शौचालय निर्माण / भुगतान के सम्बन्ध में
(8) सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बंध में
(9) पुराने हेण्डपम्प की मरम्मत और नया हेण्डपम्प लगाने के सम्बंध मे
(10) रास्ता निर्माण के सम्बंध मे
(11) तालाब निर्माण और मरम्मत के सम्बन्ध में
(12) खेत समतलीकरण, पशुबाडा, नये कुऐं निर्माण व पुराने कुआ की मरम्मत के सम्बंध में
(13) आर. ओ. प्लाण्ट निर्माण के सम्बन्ध में
(14) वृक्षारोपण के सम्बन्ध में
(15) श्मशान घाट मरम्मत के सम्बंध मे

2

प्रस्ताव प्रथम पेज

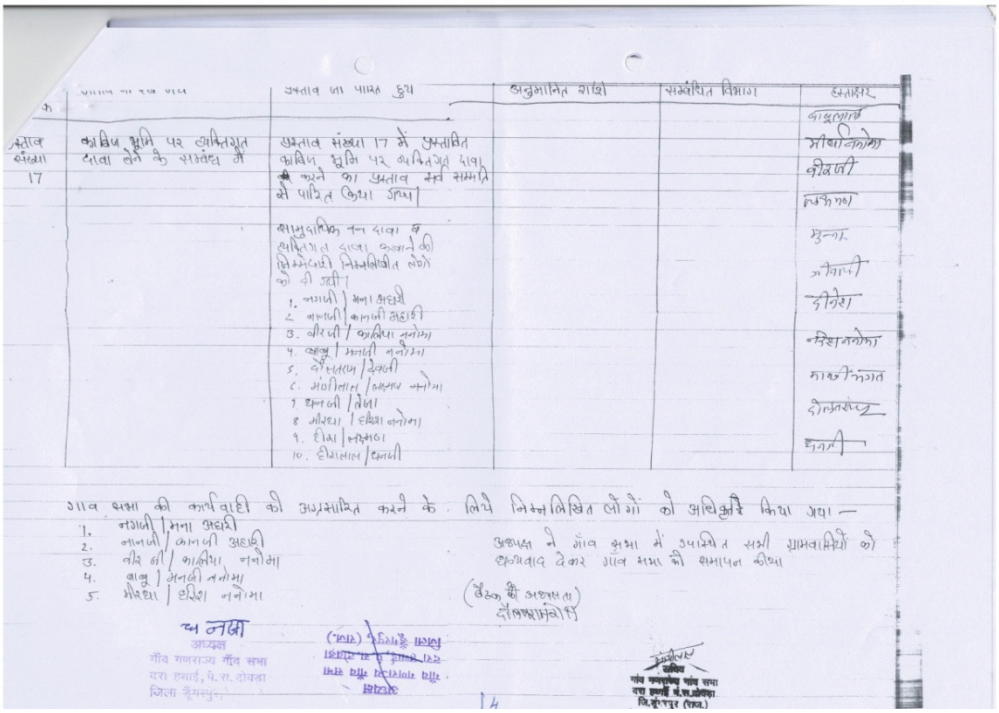

क्र.	[illegible]	प्रस्ताव जो पारित हुए	अनुमानित राशि	सम्बंधित विभाग	हस्ताक्षर
प्रस्ताव संख्या 17	काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा लेने के सम्बंध में	प्रस्ताव संख्या 17 में प्रस्तावित काबिज भूमि पर व्यक्तिगत दावा करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।			[illegible]
		सामुदायिक वन दावा व व्यक्तिगत दावा करवाने की जिम्मेदारी निम्नलिखित लोगों को दी गयी। 1. नगजी / मना अहारी 2. नानजी / कानजी अहारी 3. वीरजी / कालिया ननोमा 4. बाबू / मनजी ननोमा 5. दौलतराम / देवजी 6. मणीलाल / लक्ष्मण ननोमा 7. धनजी / तेजा 8. मीरधा / हरिश ननोमा 9. हीमा / लक्ष्मण 10. हीरालाल / धनजी			[illegible]

गाव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिये निम्नलिखित लोगों को अधिकृत किया गया —

1. नगजी / मना अहारी
2. नानजी / कानजी अहारी
3. वीर जी / कालिया ननोमा
4. बाबू / मनजी ननोमा
5. मीरधा / हरिश ननोमा

अध्यक्ष ने गाँव सभा में उपस्थित सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देकर गाँव सभा को समापन कीया

(बैठक की अध्यक्षता)
दौलतराम [illegible]

अध्यक्ष
गाँव गणराज्य गाँव सभा
दरा हयाई, पं. स. दोवडा
जिला डूँगरपुर

सचिव
गांव गणराज्य गांव सभा
दरा हयाई पं.स.दोवडा
जि.डूंगरपुर (राज.)

प्रस्ताव अंतिम पेज

दरा हथाई प्रस्ताव जमा करवाते सामाजिक कार्यकर्ता

विलेज प्लैनिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

नाम	**फोन न.**
धन जी ननोमा	- 9571289984
मांगीलाल	- 7568124971
दौलतराम रोत	-
कांतिलाल	-
मंजू ननोमा	-